(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2488–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–07–2012 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला–सतना द्वारा प्रकरण कमांक 9/ए–67/2011–12

....

1– यादवेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरजा प्रताप सिंह परिहार
2– यतेन्द्र सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह परिहार,
निवासीगण–कचनार तहसील नागौद
जिला–सतना (म0प्र0)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सतना,
2– अनुविभागीय अधिकारी नागौद,
जिला–सतना

.... अनावेदकगण

....

श्री रविन्द्र बाबू शर्मा, मानचित्रकार खनिज शाखा सतना
तर्फे अनावेदगण शासन

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/5/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी नागौद, जिला–सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–07–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र0 2 अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध इस आशय का एक सूचना–पत्र दिनांक 24.11.2011 को जारी किया गया कि ग्राम रेरूआकलां तहसील नागौद की भूमियों पर हुए अवैध उत्खनन की जांच खनिज अधिकारी एवं तहसीलदार नागौद द्वारा संयुक्त रूप से कराई गई तथा जांच प्रतिवेदन अनुसार कृषि भूमियां आराजी नं0 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128 एवं 123/2 के रकबा क्र0 0.052 हेक्टेयर, 0.100 हेक्टेयर, 0.345 हेक्टेयर, 0.120 हेक्टेयर, 0.052 हेक्टेयर, 0.180 हेक्टेयर 0.052 हेक्टेयर एवं 0.105 हेक्टेयर कुलकिता 8 कुल रकबा 1.006 हेक्टेयर पर आपके द्वारा बिना स्वीकृति के अवैध रूप से चूना एवं पत्थर का उत्खनन किया गया है। संहिता की धारा 247(7) के अनुसार दण्डनीय है। अतः आवेदकगण से बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि जो प्रकरण उसके विरूद्ध बनाया गया है उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध आवेदकगण से नहीं है और न ही उक्त आराजियां उनके नाम पर है और न ही उनका भौतिक कब्जा है। किन्तु अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा जवाब पर विचार किये बिना ही आदेश दिनांक 30.07.2012 से आवेदकगण का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी नागौद के उक्त आदेश दिनांक 30.07.2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं फिर भी न्यायहित में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज न करते हुये निगरानी आवेदन में उल्लेखित तर्कों पर विचार किया। निगरानी आवेदन में उल्लिखित अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना कार्यवाही की गई है जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया था तथा निवेदन किया गया था कि उनके विरूद्ध जो प्रकरण विरचित किया गया है वह गलत है। अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा

आवेदकगण को अवैध उत्खनन का आरोपी बताया गया है, जबकि उक्त जांच का उल्लेख केवल सूचना पत्र में है, वास्तविक रूप से न तो कोई जाचं की गई है और न ही आवेदकगण को कोई सूचना–पत्र जारी किया गया है। इस वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 247 (7)ए में शास्ति के अधिरोपण के लिये उक्त तथ्यों का साबित होना आवश्यक है जैसे–उस व्यक्ति ने कोई खनिज हटाया है या निकाला है?, यह खनिज किसी खदान या खान से निकाला या हटाया गया है?, ऐसी खदान का अधिकार सरकार में निहित है, ऐसा निकाला या हटाया जाना विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना किया गया है? एवं निकाले गये खनिज का मूल्य आदि इन तथ्यों को साबित करने का भार राज्य सरकार पर है तथा इन तथ्यों को ग्राह्य साक्ष्य से साबित करना चाहिए। केवल अनुमान पर्याप्त नहीं है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इसका पालन नहीं किया। अतएव निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2012 निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से प्रस्तुत लिखित जबाव तथा तर्क में मुख्य रूप लेख किया कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी मेमो के कण्डिका कमांक 1,2,3,4,6,7,8,9 एवं 10 को अस्वीकार है तथा कण्डिका 11 जबाव योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त कण्डिका 5 में पुनरीक्षण को निरस्त करने का अनुरोध किया है। अनावेदक शासन की ओर से पेश लिखित जबाव एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर विशेष अनुरोध में यह लेख किया है कि आवेदक यादवेन्द्र सिंह को ग्राम रेरूआकला की भूमि सर्वे नम्बर 115 पी रकबा 0.405 है0 दिनांक 19–9–05 से दिनांक 18–9–2010 तक गिट्टी क्रेशर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा स्वीकृत लीज अवधि का रूपये 30000/– डेडरेन्ट तथा उस 24 प्रतिशत ब्याज बकाया है जो नोटिस दिये जाने के बाद भी जमा नहीं किया है। आवेदक लीज अवधि समाप्त होने के बाद निरन्तर लीज सीमा से हटकर अवैध उत्खनन करता रहा है। जिस पर पुनरीक्षण के आवेदनकगण के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

की धारा 247(7) के अन्तर्गत जांचोपरान्त कार्यवाही की जा रही है। आवेदक ने ग्राम रेरूआकला की भूमि सर्वे कमांक 115 रकबा 0.405 हेक्टेयर स्वीकृत भूमि से लगी भूमि सर्वे नम्बर 120,121,122,124,125,126,128 एवं 123/2 कुल किता 8 रकबा 1.006 हेक्टेयर पर अवैध उत्खनन करते रहे हैं। दैनिक समाचार पत्रों एवं आम नागरिकों से शिकायतें प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21–11–2011 को आदेश जारी कर ग्राम सलैया तहसील नागौद स्थित खदान के आस–पास की जमीनों पर अवैध उत्खनन जांच की टीम गठित की गई। उक्त टीम ने दिनांक 22–11–2011 को निरीक्षण में अवैध उत्खनन पाया और प्रकरण बनाकर खनिज निरीक्षक सतना से मूल्यांकन पश्चात अवैध उत्खनन का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी नागौद को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को पत्र कमांक 17/अनु0अ0/2011 दिनांक 24–11–2011 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही को पूर्ण नहीं होने देना चाहते हैं और प्रकरण लंबित रखने की दृष्टि से निगरानी की गई है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो तथा अनावेदक शासन की ओर से प्रस्तुत जबाव के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक यतेन्द्र सिंह को कलेक्टर जिला सतना के आदेश कमांक 03/अ–67/2005–06 दिनांक 6–1–06 से दिनांक 19–9–2005 से 18–9–2010 तक की अवधि के ग्राम रेरूआकला तहसील नागौद की आराजी कमांक 115 पी रकबा 0.405 है0 का खनिज पत्थर निकालने हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया था। इसके पश्चात आवेदक को उक्त पट्टे की लीज की अवधि बढाये जाने संबंधी कोई दस्तावेज आवेदकगण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। आवेदकगण के विरूद्ध अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर सतना ने पत्र कमांक 5अ/एस.सी. –3/2011/410 सतना दिनांक 21–11–2011 के द्वारा अवैध उत्खनन की जांच करने हेतु टीम गठित की। कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार नागौद, उपसंचालक खनिज प्रशासन जिला सतना एवं राजस्व निरीक्षक नागौद द्वारा मौके की

जांच की तथा स्थल पंचनामा, नक्शा, खसरा पंचशाला एवं प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित की। आवेदकगण के विरूद्ध अवैध उत्खनन पाये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 24–11–2011 को संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 30–7–2012 को आवेदकगण के अधिवक्ता ने आवेदन पेश कर प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति इस आधार पर की कि स्वीकृत लीज पर अवैध उत्खनन का प्रकरण नहीं चल सकता है। अनुविभागीय अधिकारी ने अभिलेख का अवलोकन करने एवं उभय पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी नागौद का आदेश दिनांक 30–7–12 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर